न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़ (राज.)

परिवाद संख्या 14 / 2017

खाद्य सुरक्षा अधिकारी जरिये
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री पकंज चौधरी पुत्र श्री गिरधारी लल चौधरी मेसर्स पकंज किराणा स्टोर, ग्राम पंचायत के सामने सुहागपुरा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़
2. आशिष चिप्पड पुत्र श्री राजमल चिप्पड़ मेसर्स समता ट्रैडिंग कम्पनी, बस स्टेण्ड प्रतापगढ
3. श्री घनश्याम सिंह पुत्र श्री महाला सिंह मेसर्स Saboo Sodium Chloro Ltd. Surya House, L-5, B-II, Krishna Marg, 'C' Scheme, Jaipur
4. M/s Saboo Sodium Chloro Ltd. Works: Govindi, Nawa city Rajasthan

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ सत्यमेव जयते

– अप्रार्थीगण

:–आदेश–:

दिनांक 01 / 12 / 2017

शासन उपसचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प1 (2)कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्व एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने सबस्टेण्डर्ड आयोडाईज्ड नमक का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंधन किया है। जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटीफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र नोटीफिकेशन की प्रति, माल खरीद की प्रति, बिल असल, फार्म नं. 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर द्वारा फार्म नं. 6 की प्राप्ति रसीद एवं नमूना मय फार्म नं0 6 की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत की है। अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीनों भागों की फार्म नं0 6 की पुश्त पर प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र विक्रेता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र ,प्रार्थना पत्र मय

S.M
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

पहचान पत्र तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय हाजा में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 15.07.16 को 01.30 पी.एम. पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त मेसर्स पकंज किराणा स्टोर, ग्राम पंचायत के सामने, सुहागपुरा तहसील पीपलखूंट जिला प्रतापगढ़ पर पहुँचा। अपना परिचय दिया व उसका परिचय लिया। इस दूकान पर पकंज चौधरी पुत्र गिरधारीलाल चौधरी उपस्थित थे एवं आम जनता को घी, तेल, मसाले व नमक विक्रय हेतु रखे पाये। विक्रेता से पुंछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं को होना बताया व स्थाई निवासी पंचायत के सामने सुहागपुरा होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य प्रदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नही होना बताया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक की उपस्थिति में दूकान का निरीक्षण किया जहां पर आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड) के एक–एक किलो वाले 20 पैकेट आमजन को विक्रय वास्ते एक लकडी की रैक पर रखे हुए थे तथा प्रत्येक पैकेटो पर Net weight -1 kg, MRP-17/- PKD-04/2016 Batch no. 04,Best before 2 year from the date of packing,, ingrednats present, green symbol given, Nutritional information given, MFD pkd by-Saboo sodium chloro Ltd, Govindi, nawa city (Raj), Regd. Office-L-5, B-II, Krishna marg, 'C' Scheme Jaipur 302001 & FSSAI Lic. 10014013000704 आदि अंकित था। मिसब्राण्ड, सबस्टेण्डर्ड व अनसेफ का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर मौके पर नमक का नमूना लेने की लिखित सूचना फार्म नं0 5 ए के द्वारा विकेता को दी फार्म नं. 5 ए एक प्रति विकेता को देकर दूसरी प्रति पर विकेता की प्राप्ति रसीद ली। विक्रेता मालिक ने मौके पर विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ नमक (सूर्या ब्राण्ड) को अन्य फर्म से खरीदने के सम्बन्ध में कोई बिल/वेट इनवोईस प्रस्तुत नही किया। तत्पश्चात गवाहान व विक्रेता की उपस्थिति में 1–1 किलोग्राम वाले 20 पैकेट नमक (सूर्या ब्राण्ड) में से 4 पैकेट वास्ते नमुना जॉच हेतु विक्रेता से खरीदे एवं इस हेतु 60/–रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मालिक व गवाहान को प्लास्टिक के चार साफ सुखे एवं खाली चौकोर डिब्बे दिखाकर उक्त खरीद शुदा आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड) के चारो पैकेटो को साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के चारो डिब्बों में अलग–अलग रखकर ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार किये गये जिस पर पर डी.ओ. के कोड कमांक वाई–748 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ,गवाह एवं विकेता के हस्ताक्षर कराते हुए चिपकाने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद प्रत्येक जार को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को गोंद से चिपकाया गया । तत्पश्चात डी0ओ0 प्रतापगढ़ के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

क्रमांक वाई–748 गोंद से गोलाई में चिपकाई ,धागे से बांध कर सील चपड़ी से सीलबन्द मोहर किया गया । चारो नमूना जारों पर डी.ओ. के कोड क्रमांक वाई–748 दर्ज कर प्रत्यैक लेबल पर अन्य विवरण अंकित कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं गवाह ने हस्ताक्षर किये, विक्रेता ने पेपर स्लिप व खाकी कागज क्रॉस करते हुए अपने हस्ताक्षर किये । नियमानुसार नमूना लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लिये गये चारों नमूनों को अपने जाप्ते में लिया । मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द बनाई गई जिसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर,सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया ,जिन्होने पढ़,सुन समझकर कर अपने हस्ताक्षर किये । जिस सील से नमूना सील किया था जिसका निशान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द पर अंकित किया । उक्त समस्त कार्यवाही गवाहान की उपस्थिति में की गई ।

कार्यालय में पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था । दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 18.07.2016 को देकर रसीद प्राप्त की । 1 नमूना मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को दिनांक 18.07.2016 को जमा करा कर रसीद प्राप्त की । शेष 2 सील बंद नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतापगढ को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जमा करवाये जाने का उल्लेख किया गया है। जिनकी प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है । शेष चौथा नमूना मय फार्म नं0 6 की प्रति चपड़ी से सिलबन्द सिलमोहर कर दिनांक 15.07.2016 को जमा कराई, प्राप्ति रसीद फार्म नं0 6 की पुश्त पर है ।

यह कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेसर्स पकंज किराणा स्टोर , सुहागपुरा को आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड) को अन्य फर्म से खरीदने की जानकारी देने बाबत् रजिस्टर्ड पत्र लिखा, जिसके प्रत्युतर में पकंज किराणा स्टोर ने उक्त नमक को मेसर्स समता ट्रैडिंग कम्पनी प्रतापगढ़ से खरीदने का बिल प्रस्तुत किया जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेसर्स समता ट्रैडिंग कम्पनी प्रतापगढ़ को फार्म नं. 5 ए व फर्म का बिल की छायाप्रति भिजवाने व फर्म से सम्बन्धित जानकारी चाहने बाबत् रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया गया, जिसके प्रत्युतर में मेसर्स समता ट्रैडिंग कम्पनी प्रतापगढ़ ने उक्त आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड) को मेसर्स Saboo Sodium Chloro Ltd. Govindi Nawa City से खरीदने का बिल प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अग्रेषण पत्र द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड) का नमूना **3(1)(zx)** के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते

अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है । अभिहित अधिकारी द्वारा विक्रेताओं एवं निर्माता फर्म को धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड पत्र भेजे गये ।

अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रकरण तैयार कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया । इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद प्रस्तुत किया ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने पर , प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तुत करने हेतु विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया ।

अप्रार्थी अभियुक्त को उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद में वर्णित तथ्यों को पढ़कर अवगत कराया गया । अप्रार्थी अभियुक्त क्रमांक 1 ने अपने जवाब में उसके उपर लगाये गये आरोपों को अस्वीकार किया और बताया कि वह तो मेसर्स समता ट्रेडिंग कम्पनी प्रतापगढ़ से आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड) क्रय कर विक्रय करता है। अप्रार्थी क्रमांक 2 ने अपने जवाब में बताया कि वह मेसर्स Saboo Sodium Chloro Ltd. Govindi Nawa City से क्रय कर विक्रय करता है। अप्रार्थी क्रमांक 3 व 4 को कई बार जवाब हेतु अवसर दिये जाने पर उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया जाने पर जवाब बन्द किया गया। दौराने बहस खाद्य विश्लेषक, उदयपुर एवं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि नमक के अन्दर आयोडीन की मात्रा 15 PPM होनी चाहिए जिसकी तुलना में उक्त नमक में 5.29 PPM ही मौजूद है, जिसका प्रभाव आमजन को नुकसान दायक होता है। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 के नियम 2.3.12 के अनुसार No person shall sell or offer or expos for sale or have in his premises for purpose of sale, the sale the common salt for direct human consumption unless the same is iodized: PROVIDED that common salt may be sold or exposed for sale or stored for sale for iodization, iron fortification, animal use, preservation, manufacturing medicines and industrial use under proper label declarations as specified in the regulation 2.4.5 (21&42) of food safety and standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.

परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. 381/एक्ट/2016/408

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,प्रतापगढ

दिनांक 19.07.2016 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्तों द्वारा विक्रय हेतु आयोडाईज्ड नमक (सूर्या ब्राण्ड) का नमूना जांच रिपोर्ट में **3(1)(zx)** के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

अतः उपरोक्त रिपोर्ट बताती है कि अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) के तहत अमानक पदार्थ बेचने का दोषी है जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है । उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्तों को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित है । अतः अप्रार्थी क्रमांक 4 मेसर्स Saboo Sodium Chloro Ltd. Works: Govindi, Nawa City (Rajasthan) पर राशि 50,000/-रू अक्षरे पचास हजार रू शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उपरोक्त शास्ति की राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के नाम जरिये डी0डी0/नगद न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में निर्णय दिनांक 01.12.2017 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2017 को लिखाया जाकर सरे न्यायालय सुनाया गया ।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते

(हेमेन्द्र नागर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़

क्रमांक/रीडर/2017/261-63 दिनांक 01.12.2017

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ,जयपुर ।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
3. Saboo Sodium Chloro Ltd. Works: Govindi, Nawa City (Rajasthan)

(हेमेन्द्र नागर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट , प्रतापगढ़